वृद्धों के अधिकार : सरकार का योगदान

HelpAge International
age helps

Gravis

वृद्धो के अधिकार : सरकार का योगदान
2010

प्रकाशक :
ग्राविस
ग्रामीण विकास विज्ञान समिति
3 / 437, 458 मिल्कमेन कॉलोनी, पॉल रोड़
जोधपुर – 342008, राजस्थान
फोन : 0291-2785317, 2785549, 2785116
फैक्स : 0291 - 2785116
ईमेल : email@gravis.org.in
वेबसाइट : www.gravis.org.in

सहयोग :
हैडकॉन
हैल्थ एनवायरमेन्ट एण्ड डवलपमेन्ट कन्सोर्टियम
67/145, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर – 302022, राजस्थान
फोन : 0141-2792994, 2790741
ईमेल : hedcon2004@yahoo.com
वेबसाइट : www.hedcon.org

© ग्राविस

यूरोपियन यूनियन एवं हैल्प एज इन्टरनेशनल (यू.के.) के आर्थिक सहयोग से पी.ओ.सी. परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित

प्राक्कथन

विश्व के सभी हिस्सों में वृद्ध संख्या का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है। यही स्थिति भारत में भी बनी हुई है। वृद्धों की इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उचित सुविधाओं व योजनाओं की कमी है, जिसके कारण बहुत से वृद्ध कठिनाईयों के साथ जीने को विवश हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है।

राजस्थान का थार मरूस्थल, दूनिया का सबसे दुर्गम और शुष्क क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से कमज़ोर, संसाधनों की अल्पता से ग्रस्त और आर्थिक विकास के लिए अपर्याप्त स्त्रोत होने के कारण पिछड़ा क्षेत्र रहा है। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ रहने वाली अधिकतर जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतित कर रही है। यही कारण है कि ज्यादातर पुरूषों (युवकों) को क्षेत्र से बाहर पलायन करना पड़ता है और पीछे रहने वाले बुजुर्गों की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। यही नहीं बहुत से परिवार टूट भी जाते है और माता – पिता को उम्र के आखरी पड़ाव में विषम परिस्थितियों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। इन विषमताओं को महसूस करते हुए और वृद्धों के प्रति बढ़ती अपेक्षा को देखते हुए ग्राविस द्वारा संचालित ''**राजस्थान के कमजोर वर्गो में वृद्धों के नेतृत्व द्वारा निर्धनता उन्मूलन**'' (POC) परियोजना जोधपुर और जैसलमेर में चलाई जा रही है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धों को उनके अधिकारों से अवगत करवाना और उन्हें आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा देना है। परियोजना द्वारा वृद्धों के स्वास्थ्य, अधिकार, सामाजिक विषमताओं को आधार मानकर अपेक्षित गतिविधियाँ की जा रही है।

वृद्धों में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राविस द्वारा यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। हैल्पेज इन्टरनैशनल और यूरोपियन यूनियन के सहयोग से यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इस पुस्तिका के लेखन में शिवानी सैनी के सहयोग का धन्यवाद करती हूँ तथा इसके संकलन के लिए हैडकॉन संस्था और ग्राविस से जुड़े साथियों को धन्यवाद देती हूँ।

शशि त्यागी
सचिव

अनुक्रमणिका

(क) सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ 5

सरकारी योजनाएँ 6

(ख) सरकार द्वारा वृद्धों के लिए प्राप्त रियायतें 17

(ग) सरकार द्वारा वृद्धों को प्राप्त अधिकार 18

(घ) राजस्थान में संचालित वृद्धाआश्रम 20

Blank

(क) सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ

आत्मसम्मान से जीवन व्यतीत करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। यह अधिकार हमें समाज में स्वाभिमान से जीने की आजादी प्रदान करवाता है। यह अधिकार हमें हमारे संविधान से प्राप्त है। लेकिन गरीबी के कारण और घटती ऊम्र से आने वाली परेशानियाँ मनु य को शरीरिक रूप अति लाचार और आर्थिक, मानसिक और सामाजीक रूप से कमज़ोर बना देती है। इन परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव वृद्वजनों को सहना पङता है। वृद्धों को निर्भरता का जीवन व्यतीत करना पङता है। पहले समय में संयुक्त परिवार होने से वृद्वों को सम्मान और आदर प्राप्त होता था और परिवार में जीवन के आखरी पल आराम से कट जाते थे। नवाचार आने से घटते संस्कारों की वजह से आज हमारे समाज में वृद्वों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वृद्वों की भारत में बढती जनसंख्या और उनके घटते जीवन स्तर को देखते हुए, सरकार ने वृद्वों के कल्याण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। यह सरकार की नीतियों का ही फल है कि आज वृद्वों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं और नीतियों को लागू किया गया है।

राजस्थान की जलवायु अति भिन्न और विषम परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में थार मरूस्थल दुनियां का सबसे घनी आबादी वाला मरूस्थल है। यहाँ पर बसे लोगों को बहुत सी प्राकृतिक और अप्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पङता है। यहाँ की सबसे बङी समस्या भिषण गर्मी, पानी की कमी और अत्याधिक आकालों से होने वाले नुकसान हैं। यहाँ गरीब लोगों की आजीविका खेती और पशु–पालन पर निर्भर है। परन्तु आकाल की परिस्थितियों के कारण यहाँ की अधिकतर जनसंख्या पिछड़ी औंर गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही है। युवकों को इस क्षेत्र से काम की तलाश में पलायन करना आम बात है। बुजुर्ग लोगों से परिवार की अपेक्षाऐं इन परिस्थितियों में बढ़ जाती हैं। जिसके चलते अपना ख्याल रखने के लिए उनके पास समय का अभाव रहता है और यही नहीं आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर वृद्ध लोग अपनी परेशानियाँ छुपा लेते है।

यही कारण है कि आज सरकार को वृद्धों को वापस से सम्मान की जिन्दगी व्यतित करने के लिए अधिक से अधिक योजनाओं के साथ जोड़ने की शुरूआत करनी पड़ी। सरकार की योजनाओं में वृद्धों के स्वास्थ्य, खाद्य, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक विकास, वृद्धों के परिवार कल्याण आदि जैसी समस्याओं को लक्षित किया गया है। सरकार द्वारा संचालित योजनाऐं इस प्रकार हैं:–

सरकारी योजनाऐं

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहॉ करे	प्राप्त राशि	
1.	वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन	❖ आवेदन कर्ता की आयु (पुरूष 58 वर्ष तथा महिला 55 वर्ष होनी आवश्यक है। ❖ राजस्थान का वास्तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि से राजस्थान में रहता हो। ❖ जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो। ❖ उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से असक्षम हो। ❖ गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (स्त्री/पुरूष) एवं किसी भी आयु की विधवा को जो एच.आई.वी./एडस पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एडस कन्ट्रोल सोसायटी के यहाँ पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है। (सीमान्त कृषकों के लिये विहित, सीमा आधी से कम कृषि भूमि की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।)	पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।	55 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम आयु की महिला	200 रु. प्रतिमाह पेंशन
				58 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम तक का पुरूष	100 रु. प्रतिमाह पेंशन
				65 वर्ष एवं उससे अधिक का पुरूष अथवा महिला	400 रु. प्रतिमाह पेंशन
				पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनों ही 65 वर्ष से कम हो	300 रु. प्रतिमाह पेंशन
				पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दम्पति में से किसी एक की भी आयु 65 वर्ष एवं उससे अधिक होने पर	500 रु. प्रतिमाह पेंशन
				पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनों ही 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हों	600 रु. प्रतिमाह पेंशन
				किसी भी आयु की विधवा	400 रु. प्रतिमाह पेंशन

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहॉ करे	प्राप्त राशि
				नोट : राजस्थान सरकार के द्वारा पारित 2010 बजट के अनुसार 75 वर्ष के वृद्धों को 750 रुपये की राशि दी जाएगी और 75 वर्ष से कम आयु वालों को 500 रुपये तक की राशि दी जाएगी।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	❖ भारत सरकार द्वारा निर्धारितमानदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार की विधवा जिसकी आयु 40 से 64 वर्ष के बीच की होनी आवश्यक है। ❖ राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत पात्र विधवाओं को लाभान्वित करने की पेंशन योजना यथावत है। ❖ ऐसी विधवाऐं जो वर्तमान में राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रही है जिनकी आयु 40 से 64 वर्ष के मध्य है तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) में स्थानान्तरित कर उपर्युक्तानुसार पेंशन का भुगतान किया जायेगा। ❖ 40 वर्ष तक की आयु की विधवाऐं जो राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत पात्रता रखती है, उन्हे राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत पेंशन देय होगी।	ग्रामीण विकास मंत्रालय	पात्रता की विधवाओं को रुपये 400 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है।
3.	निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन	❖ राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी एवं स्थायी रूप से निवास करते हों।	पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत	पात्र विकलांग व्यक्तियों को रुपये 400 प्रतिमाह पेंशन देय है।

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहॉ करे	प्राप्त राशि
		❖ आयु 8 वर्ष से अधिक हो (राजस्थान सरकार द्वारा आयु में विषम परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है।) ❖ अपाहिज, अपंग एवं अंधे होने के फलस्वरूप वे अपनी आजीविका कमाने के लिए अयोग्य अथवा असमर्थ है तथा उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं हैं। ❖ निम्न में से निकटतम संबंधी 25 वर्ष का हो और आजीविका कमाने योग्य हो तो पेंशन नहीं मिलेगी : (क) पुत्र, पुत्र का पुत्र (ख) पति, पत्नी (ग) पिता, माता, भ्राता, पितामाह (इसमें सौतेले शामिल नहीं है) भीख मांगकर खाने वाले शामिल नहीं होंगे ❖ पात्र विकलांग पति एवं पत्नी दोनों को अलग–अलग पेंशन देय है।	समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।	
4.	विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान राशि	यह राशि उन्हीं विधवा महिलाओं को देय है जिनकी वार्षिक आय रुपये 50,000 से अधिक नहीं हो एवं जिनके परिवार में 25 वर्ष व उससे अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं हो। अनुदान राशि महिला की 2 कन्या संतान के लिए भी देय है।	अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन स्वीकृत कर भुगतान की व्यवस्था करेंगे।	राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
5.	सहयोग योजना	बजट घोषणा वर्ष 2008–09 की अनुपालना में योजना का विस्तार कर इस योजना को	अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के	बीपीएल परिवार के सभी वर्गों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहॉ करे	प्राप्त राशि
		समस्त वर्गों के बीपीएल परिवारों हेतु संचालित किया जा रहा है। समस्त वर्गों के बीपीएल परिवारों की 21 वर्ष एवं अधिक आयु की कन्या के विवाह पर योजनान्तर्गत 10,000 रुपये की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 से 21 वर्ष तक की आयु के कन्या के विवाह पर पूर्व की भांति राशि रुपये 5000 प्रदान किये जाते रहेंगे। यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या संतानों के विवाह के लिए ही देय होगी।	जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन स्वीकृत कर भुगतान की व्यवस्था करेंगे।	के विवाह पर 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
6.	विधवा विवाह उपहार योजना	वर्तमान पेंशन नियमों में हकदार विधवा महिला यदि शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।	इस हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रार्थना पत्र भरकर विवाह के एक माह बाद तक संबंधित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा।	15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
7.	पालनहार योजना	यह योजना उन बच्चों को लाभ देती है जो बच्चे अनाथ हो और बीपीएल परिवार से हो। इसके अलावा विधवाओं के बच्चों को भी लाभ प्राप्त है।	समाज कल्याण विभाग	5 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों के लिए 50 रुपये दिये जाते है। स्कूल में दाखिल के बाद राशि 675 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। इसके साथ साथ 2000 रुपये प्रतिमाह किताबें और जूतों के लिए भी दिये जाते हैं।
8.	स्वयं सिद्ध योजना	स्वयं सिद्ध केन्द्रों की स्थापना जरूरतमंद लोगों के पुर्नवास के लिए की गई है। यह केन्द्र आश्रय प्रदान करने के लिए और संकट में स्व रोजगार प्रशिक्षण के लिए किए गए है।	स्वयं सिद्ध केन्द्रों की स्थापना एनजीओ के माध्यम से की गई है। ये योजना अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर के लिए की गई है।	
9.	संजीवनी योजना	इस योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर (1,00,000 से अधिक जनसंख्या पर लागू की गई है) तीव्र और क्रोनिक बीमारियों के लिए	ये सेवाएं निम्नलिखित प्रकार के रोगियों को दी जाएगी : – त्वचा रोग, तपेदिक प्रसूति/स्त्रीरोगों, बाल रोग, शल्य	राजस्थान के 15 जिलों में दूरदराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जाएगीं।

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहॉ करे	प्राप्त राशि
		उपचार एवं सर्जरी की जाएगी। यह योजना जरूरतमंद से पीड़ित रोगियों को सेवाएं प्रदान करना है।	चिकित्सा, नेत्र विज्ञान और ई.टी. दंत परिवार कल्याण, टीकाकरण आयुर्वेदिक, यूनानी आदि ये सेवाएं निम्नलिखित प्रकार के रोगियों को दी जायेगी। हीमोग्लोबिन के लिए प्रयोगशाला जांच, टीएलसी (कुल ल्यूकोसिस्ट गिनती), इएसआर (इरिथ्रोकाइट अवसादन), मूत्र (एल्बोमिन और अन्वीक्षण और गर्भावस्था), बलगम जांच, रक्त समूह, ईसीजी, एक्स रे, एचआईवी, पैप स्मीयर, मलेरिया आदि भी शामिल है। अनुदान के लिए ब्लॉक विकास समिति में आवेदन करें। शिविर करने के लिए छोटे और बड़े सर्जिकल प्रक्रियायें भी प्रदान की जाएगी	
10.	मेडिकेयर रिलीफ कार्ड	इस योजना के 1999 में शुरू किया गया था जिसमें चिकित्सा राहत कार्ड सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। कार्डधारक सभी सरकारी सुविधाओं में मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए हकदार है।	समाज कल्याण विभाग	
11.	अभिलाषा योजना स्कीम	रोजगार के अवसर बढ़ाने और बुजुर्गों को लाभ की आशा, राजस्थान सरकार ने एक 'घर' नर्सिंग सुविधा शुरू की है। इस योजना से बीमार वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।	योजना जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शुरू की गई है। योजना के लिए एक नोटिस मेडिकल कॉलेजों के सामने चिपकाया गया है।	
12.	अन्नपूर्णा योजना	अन्नपूर्णा योजना गरीबी रेखा से नीचे सभी अन्य बुजुर्ग शामिल है। बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों या ऊपर या जो यद्यपि राष्ट्रीय	राजकीय विकास बोर्ड।	

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहॉ करे	प्राप्त राशि
		वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) के तहत् वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है योजना के अंतर्गत कवर कर रहे हैं उम्र के 65 साल प्रतिमाह प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की 10 किलो की लागत से मुफ्त प्राप्त करवाई जाएगी।		
13.	बंधक रिवर्स प्रणाली	सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बंधक रिवर्स प्रणाली शुरू की गई है, इसमें कोई भी वरिष्ठ धारक सम्पत्ति को गिरवी रखकर किसी भी परेशानी के बिना उसकी ऋण राशि हर माह प्राप्त कर सकता है।	सहकारी विभाग	
14.	मुख्यमंत्री सहायता कोष	राजस्थान राज्य के नागरिक जिनकी वार्षिक आय 40,000/– रुपये तक है, के द्वारा गम्भीर रोगों के इलाज कराने हेतु सहायता बाबत् आवेदन किये जाने पर बीमारी के इलाज पर होने वाले व्यय का शत–प्रतिशत पुनर्भरण नहीं किया जाकर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप इलाज पर होने वाले व्यय की राशि का 40 प्रतिशत स्वीकृत करने का प्रावधान है, जो अधिकतम 60,000/– रुपये तक स्वीकृत किया जाता है। मुख्य रूप से गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है :– 1. हृदय के एक वाल्व परिवर्तन पर अधिकतम 40,000 रुपये। 2. हृदय के दो वाल्व परिवर्तन पर अधिकतम 60,000 रुपये। 3. बाईपास सर्जरी/हृदय की अन्य गम्भीर बीमारी हेतु चिकित्सक द्वारा जारी	आवेदन पत्र के साथ राशनकार्ड की फोटोप्रति, आय का प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी), उपचार पर होने वाले व्यय का चिकित्सक द्वारा जारी ऐस्टीमेट एवं परिवार के मुखिया द्वारा 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियाल स्टाम्प पर आय का शपथ पत्र लिया जाता है। आवेदक द्वारा जिस चिकित्सालय में उपचार किया जाता है, मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा चिकित्सक के ऐस्टीमेट का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम जो भी देय राशि हो, का ड्राफ्ट/चैक द्वारा सम्बन्धित चिकित्सालय को भिजवा दिया जाता है। शेष 60 प्रतिशत राशि का वहन बीमार अथवा उसके परिजनों द्वारा किया जाता है।	

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहाँ करे	प्राप्त राशि
		ऐस्टीमेट का 40 प्रतिशत अधिकतम 60,000 रुपये। 4. कैंसर रोग के उपचार/गुर्दा प्रत्यारोपण एवं अन्य गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु अधिकतम 60,000 रुपये। 5. साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार अधिक राशि भी स्वीकृति की जा सकती है।		
15.	जीवन रक्षा कोष	गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के आउटडोर एवं इन्डोर रोगियों को राज्य के चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना जिसमें रोग के निदान एवं उपचार से सम्बन्धित समस्त सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के आधार पर नवीनतम अनुमोदित बीपीएल चयनित सूची के परिवारों के रोगी निःशुल्क उपचार के पात्र होंगे।	इस योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने नजदीक के मेडिकल कॉलेज एवं इनसे सम्बद्ध चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय/सैटेलाइट चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर बीपीएल कार्ड/आस्था कार्ड अथवा रनेगा कार्ड जिसमें बीपीएल का ब्यौरा होता है, प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर रोगी को उस चिकित्सा संस्थान में उपचार औषधियां एवं जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। रोग्रस्त व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने अथवा निदान/उपचार प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो लाभार्थी सीधे ही निम्न अधिकारियों से सम्पर्क कर सकता है। 1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।	योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रकार वित्त की व्यवस्था की जावेगी :– ❖ सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज–50 लाख रुपये ❖ अन्य मेडिकल कॉलेज–25 लाख रुपये ❖ जिला/सैटेलाइट चिकित्सालय–5 लाख रुपये ❖ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–1 लाख रुपये ❖ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–10 हजार रुपये

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहाँ करे	प्राप्त राशि
			2. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर सम्बन्धित। 3. निदेशक, अस्पताल प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं। 4. प्रधानाचार्य/नियन्त्रक सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज। 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सम्बन्धित।	
16.	रिद्धि सिद्धि योजना	यह योजना विशेष रूप से महिला सहकारी समितियों के लिए है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन करके उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना हे। राज्य सरकार तथा सहकारी विभाग का यह प्रयास वास्तव में महिलाओं को एक नई दिशा देगा।	सहकारी विभाग	
17.	राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा एलपीजी गैस सिलेण्डरों का वितरण किया जाएगा।	पहले चरण में 192 में राजस्थान सहित देशभर के 1,266 स्थानों में डीलरशिप के लिए विज्ञापन जारी करेगी। राजस्थान में चयनित 192 स्थानों में से छह स्थानों के लिए छह वितरकों का चयन किया जाएगा।	
18.	किसान जीवन कल्याण योजना	यह योजना किसी किसान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे उसके परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है।	राजकीय कृषि विभाग	रू. 3000–50000 तक की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
19.	सामूहिक विवाहों हेतु अनुदान	यह अनुदान सामूहिक विवाद आयोजित करने वाले ऐसे संगठन, संस्थाओं का उपलब्ध है जो एक बार में एक साथ कम से	आवेदन – 1. पात्र संस्था सामूहिक विवाह नियम के प्रपत्र–'अ' में आवेदन तीन	योजना की कार्य प्रणाली एवं अनुदान 1. सामूहिक विवाह कराने वाली संस्था राजस्थान संस्था

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहॉ करे	प्राप्त राशि
		कम 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित करते है। यह अनुदान केवल राजस्थान में आयोजित आयोजनों हेतु ही उपलब्ध है। विवाहित जोड़ों में लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।	प्रतियों में जिला कलेक्टर को देगी। अनुदान चाहने वाली संस्था को आयोजन से कम से कम 15 दिवस पूर्व जिला कलेक्टर को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र/दस्तावेज संलग्न होना आवश्यक है। 2. प्रस्तावित जोड़ो की सूची प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 3. संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास को सत्यापन एवं अनुशंषा हेतु प्रेषित किये जाते है। 4. विवाह आयोजन के पश्चात् उपनिदेशक के द्वारा प्रस्तावों को सत्यापित कर अनुशंषा सहित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। 5. विवाह हेतु प्रस्तावित जोड़ो में सम्मिलित लड़के/लड़की की उम्र की पुष्टि हेतु उनके जन्म प्रमाण पत्र के रूप में शैक्षणिक प्रमाण पत्र यथा बोर्ड प्रमाण पत्र/टी.सी. आदि जिसमें जन्म की तिथि का उल्लेख होना अपेक्षित है। 6. जिन लड़के/लड़कियों ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की हो तो उनके संबंध में रजिस्ट्रार जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1998 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए। 2. सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए। 3. सामूहिक विवाह आयोजन में सम्मिलित जोड़ो की संख्या के अनुसार प्रति जोड़ा 6000/– रुपये धनराशि देय है। प्रति जोड़ा अनुदान राशि में से 75 प्रतिशत राशि अर्थात रुपये 4500/– की राशि दुल्हन के नाम से पोस्ट आफिस या राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 वर्ष के लिए सावधि जमा करायी जावेगी। शेष 25 प्रतिशत राशि अर्थात 1500/– आयोजनकर्ता संस्था को विवाह आयोजन के अनुदान के रूप में देय होंगे। 4. इन नियमों के अन्तर्गत किसी संस्था को अनुदान की सीमा दस लाख रुपये है जिसमें अधिकतम 166 जोड़े सम्मिलित किये जा सकते है। 5. अनुदान राशि की स्वीकृति जिला कलेकटर द्वारा दी जाती है। 6 राशि का चैक जिला महिला विकास अभिकरण के माध्यम से देय है। 7. यह अनुदान राशि ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से आयोजनकर्ता को आयोजन के उपरान्त देय होगी।

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहॉ करे	प्राप्त राशि
			7. उक्त कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो फोटो पहचान पत्र/राशन कार्ड उम्र के साक्ष्य के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा सकते है।	
20.	अन्तोदय अन्न योजना	यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब परिवारों को दी जाती है। 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से 2 रुपये प्रतिकिलो गेहूँ और 3 रुपये चावल दिए जाते हैं।	जिला कलेक्टर शहरी क्षेत्र में जिला रसद अधिकारी।	
21.	चिरायु योजना– 2008	इस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से राज्य में अधिक से अधिक वृद्ध आश्रमों का संचालन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत जरूरतमंद वृद्धों को आवासीय, अनुवर्ती शिक्षा, मनोरंजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आत्म परितोष, स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा पात्र संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम् 15 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा सकेगी। स्वीकृत राशि का 70 प्रतिशत परियोजना स्वीकृत के समय एवं शेष 30 प्रतिशत वृद्धाश्रम भवन निर्माण कार्य छत स्तर पर पहुंचने पर स्वीकृत किया जा सकेगा।	वृद्धाश्रम में प्रवेश :– ❖ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के 60 वष व उससे अधिक आयु के पुरूष, व 55 वर्ष व उससे अधिक आयु की महिलाओं को वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। ❖ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली (बीपीएल) सूची में पंजीकृत होने से वंचित वृद्धजन जो अन्यथा निर्धन, निराश्रित, असहाय हो, को भी वृद्धाश्रम में प्रवेश मिल सकेगा। ❖ ऐसे वृद्धों के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्था को प्रति वृद्धजन के लिए 675 रुपये प्रतिमाह (अधिकतम 25 वृद्धजनों हेतु) नकद सहायता राशि प्रदान की जायेगी।	निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। इन वृद्धाश्रमों में वृद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र, नाश्ता, पलंग, बिस्तर, चिकित्सा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

क्र.सं.	योजना	पात्रता	आवेदन कहॉ करे	प्राप्त राशि
23.	डे–केयर सेन्टर (भक्त श्रवणकुमार कल्याण सेवा आश्रम)	वृद्धावस्था में वृद्धजन अपने जीवन को उल्लासपूर्वक बिता सकें, इसके लिए विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 1997–98 से डे–केयर सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं, जो अब भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम (डे केयर सेन्टर) के नाम से संचालित है। इन केन्द्रों में प्रवेश हेतु 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। इन केन्द्रों को उद्देश्य वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को उनके परिवार से जुड़े रहते हुए उनकी आवश्यकताओं जैसे चिकित्सा सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, धार्मिक प्रवचन, वर्ष में दो बार धार्मिक स्थलों का भ्रमण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही इन आश्रमों में निःशुल्क चाय, अल्पाहार, पत्र–पत्रिकाएं व मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।		
23.	स्वावलम्बी योजना	राज्य सरकार द्वारा निःशक्त पेंशनों के प्रार्थियों को स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपये की राशि दी जाती है।	विकास अधिकारी पंचायत समिति	
24.	अक्षत योजना	सरकार बेरोजगार स्नातक युवकों को बेरोजगार भत्ता प्रतिमाह के रूप में प्रदान करती है। इस प्राप्त मुद्रा का व्यय वह किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेने के रूप में कर सकता है। यह भत्ता उसी युवक को दिया जाएगा, जिसके परिवार की वार्षिक आय एक लाख से कम हो।	यह भत्ता प्राप्त युवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उन्हें रोजगार प्रदान के लिए ही व्यय किया जाएगा। आवेदन के लिए रोजगार कार्यालय में संपर्क करें।	पात्र पुरूषों को 400 रुपये पतिमाह, महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह तथा निःशक्त प्रार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह दी जायेगी।

(ख) सरकार द्वारा वृद्धों के लिए प्राप्त रियायतें

वृद्धों को आम जिन्दगी में बहुत सी परेशानियों का सामाना करना पड़ता है। सरकार ने वृद्धों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुत सी रियातें प्रदान की है, ताकि उन्हें कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। यह रियायतें इस प्रकार हैः

1. वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानूनी मामले – भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सभी उच्च न्यायालयों में यह आदेश किए गए हैं कि वृद्ध व्यक्तियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता और उनके शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो।
2. सूचना का अधिकार – सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के लिए की गई द्वितीय अपील में के तहत वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
3. स्वास्थ्य देखभाल – अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार का प्रावधान है।
4. वित्त एवं कराधान आय – वृद्धों को आयकर विभाग द्वारा छूट प्राप्त है। अगर उनकी वार्षिक आय 2.25 लाख या अधिक है तभी वह आयकर दें नहीं तो पात्रता के लिए आयकर विभाग में छूट के लिए आवेदन फार्म भरें।

आवश्यक दस्तावेज – 65 वर्ष उम्र या अधिक होनी आवश्यक है। प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण पत्र आवश्यक हैः

1. राशन कार्ड
2. मतदाता पहचान पत्र
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड

ध्यान देने योग्य बातेंः–

आयकर जमा करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर

5. बैंकिग – सरकार की कुछ बचत योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादातर बैंकों में बचत योजनाओं में अधिक ब्याज दिया जाएगा। यही सभी पोस्ट (डाक घरों) आफिस में भी लागू की गई है।
6. भारतीय रेल– सभी वरिष्ठ नागरिकों, जो उम्र 60 साल के या उससे ऊपर के है उन्हे 30% छूट दी गई है जबकि महिलाओं में 50% तक किरायें में रियायत दी गई है। ये प्रावधान भारतीय रेल शताब्दी, राजधानी और जन शताब्दी गाड़ियों सहित अपने सभी ट्रेनों में प्रदान की गई है। यात्रा करते समय –

(क) सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक तस्वीर आईडी कार्ड के साथ जन्म आयु/के अपने तिथि का सबूत ले जाने की जरूरत है।

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार काउंटर है।

(ग) विशेष व्यवस्थाएं की गई है उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सहारे के बिना चल नहीं सकते। उनके

लिए पहिया कुर्सियाँ हर प्रमुख जंक्शनों पर उपलब्ध करवाई जाती है। जिला मुख्यालयों में और आदि अन्य प्रकार की सुविधाएं की जा रही है। भारतीय रेलवे ने हाल ही मैं कुछ विशेष डिब्बे भी तैयार करवा रही है जो विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकुल बनाए गए है।

(घ) भारतीय रेलवे ने हाल ही में शुरू किए गए विशेष डिब्बों जो हाथ पटरियों के लिए प्रावधान किया है और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाया गया शौचालय बनाया गया है। इन डिब्बों को भी पहिया कुर्सियों के लिए जगह है।

7. सड़क यात्रा में रियायत – राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 25% की रियायत दी गई है।

पात्रता – 65 वर्ष और उससे अधिक

बस सीट के लिए आरक्षण

राज्य परिवहन की बसों के सामने की पंक्ति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो सीटों का आरक्षण।

8 कानून एवं न्याय मंत्रालय – निम्नलिखित सहायता न्याय मंत्रालय द्वारा प्राप्त हैं :–

- मुफ्त कानूनी सहायता
- परामर्श और सुलह
- अधिवक्ताओं के नियुक्ति
- अदालत शुल्क में अनुदान
- टाइपिंग और याचिका की तैयारी पर व्यय
- दस्तावेज और अन्य मुकदमेबाजी के लिए आकस्मिक व्यय

(ग) सरकार द्वारा वृद्धों को प्राप्त अधिकार

पारम्परिक सिद्धान्तों और भारतीय समाज में संस्कारों को हमेशा से महत्त्व दिया गया है। आज बुजुर्गो के जीवन स्तर में आ रही कमी को देखते हुए, सरकार द्वारा संविधान ने वृद्धों को भी अधिकार प्राप्त करवायें है ताकि उन्हें अपने अधिकारों से वंचित न रहना पड़े। वृद्धों के लिए प्राप्त अधिकार इस प्रकार हैं:–

निजी कानून के तहत :

माता पिता के भरण पोषण के लिए सभी परिवारजनों का नैतिक कर्तव्य है। सभी धर्मों के भिन्न–भिन्न दायित्व है। वे इस प्रकार है –

1. हिन्दुओं के कानून के अनुसार :–

हिन्दुओं में, वेदों का दायित्व है अपने माता–पिता की देखभाल करना और वे अगर इस प्रकार न करें तो माता–पिता का अधिकार है कि वे उसे अपनी संपत्ति का हिस्सेदार न रखें। ये अधिकार ग्रन्थों में भी उल्लेखित है। हिंदू कानून के तहत माता–पिता के रखरखाव के लिए साविधिक प्रावधान है हिंदू प्रर्सनल लॉ Sec 20 में निर्मित हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम, 1956 इस अधिनियम में

पर्सनल लॉ के अनुसार, बच्चों का दायित्व है कि वह माता पिता का ध्यान रखें। इसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये दायित्व सिर्फ बेटो तक ही सीमित नहीं है। बल्कि बेटियों का भी माता पिता के प्रति बराबर कर्तव्य है। यह महत्वपूर्ण ध्यान देते योग्य है कि इस अधिनियम के अनुसरा केवल इस प्रकार के माता–पिता के लिए लागू है, जो कि आर्थिक रूप से किसी भी सेत से खुद के जीवनयापन करने में असमर्थ है।

2. मुस्लिम कानून के अनुसार :–

मुस्लिम कानून में भी ये कहा गया है कि ये बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने वृद्ध माता–पिता का ध्यान रखें। मुल्ला के अनुसार –

(क) बच्चों का कर्तव्य है कि आसान परिस्थितियों में भी वे अपने गरीब माता–पिता का ध्यान रखें फिर बाद में चाहे वे पहले लिए कुछ अर्जित करे।

(ख) बेटे और माता के बीच में तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी उसे अपनी माता का ध्यान रखने के लिए बाध्य है।

(ग) बेटा चाहे गरीब क्यों न हो फिर भी वह बाध्य है अपने पिता का ध्यान रखने के लिए जिसकी कोई और कमाई का साधन ना हो।

हमारी कानून के तहत, माता पिता और दादा–दादी कठिन परिस्थितियों और आजीविका अर्जित करने सक्षम होने पर भी अपने बच्चों और पोते पर सभी प्रकार से आश्रित है। मुस्लिम कानून में यह भी उल्लेखनीय है कि बेटा और बेटी दोनो ही बराबर माता–पिता को ख्याल रखना। उनका दायित्व बनता है।

3. ईसाई और पारसी कानून के अनुसार :–

पारसी और ईसाई कानून में ऐसा कोई कानून नहीं है जो माता–पिता के लिए बच्चों को बाध्य करता हो। माता–पिता अपने रखरखाव के लिए Criminal Procedure Code के तहत आवेदन करना पड़ता है।

4. **Criminal Procedure Code** के तहत से पहले, माता–पिता के रखरखाव के लिए 1973 कोई प्रावधान नहीं था। 1973, Criminal Procedure Code में निहित Sec. 125 में यह शामिल किया है कि माता पिता के रखरखाव के लिए उत्तरदायित्व पार्टी के पास पर्याप्त संसाधन है कि नहीं। अगर पर्याप्त संसाधनों के होते हुए भी वह उनके रखरखाव। ध्यान नहीं दे तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस कानून के अनुसार बेटियाँ, विवाहित बेटियाँ भी अपने माता पिता रखरखाव के लिए बाध्य है।

5. माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव के लिए विधेयक, 2007

यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है इसके तहत जो माता पिता (चाहे वे जैविक गोद लिए हुए या सौतेले हों) वे आर्थिक रूप से असमर्थ होते है और उनके द्वारा और या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा या किसी छळ द्वारा समाजसेवी संस्थान द्वारा रखरखाव के लिए आवेदन कर सकती है। इसके तहत् कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से मासिक भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। मासिक भत्ता देने के लिए असमर्थ माता पिता अपने बच्चों से, जो सौतेले भी हो सकते है और रिश्तेदारों के नाम पर भी आवेदन कर सकते है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान न हो तो उसके मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति का

(घ) राजस्थान में संचालित वृद्धाआश्रम

राजस्थान में वृद्धजनों के लिए सरकार द्वारा कुछ वृद्धाआश्रम खोले गए हैं । इनका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले बेसहारा वृद्धों को शरण देना है। इसके अलावा उन्हें स्वतंत्र और संतुलित वातावरण, सही पोषण एवं सही देखभाल प्रदान की जा सके। यह वृद्धाआश्रम वृद्धों के लिए हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त होते हैं। इन वृद्धाआश्रमों में निःशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र, नाश्ता, पलंग – बिस्तर, चिकित्सा आदि सुविधायें मुहीया करवाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित वृद्धाआश्रमों की स्थापना की गयी है जो इस प्रकार है:

जितेन्द्र विकासन जैन निवृति आश्रम (ओल्ड ऐज होम) श्री जैन श्वैताम्बर खर्तारगच्छारिया जिन्दुतसुरी दादाबरी जिन्दुत सुरी, राजस्थान, इण्डिया फोन : +91–145–2620357 दिशा–निर्देश : अजमेर रेलवे स्टेशन से 2 कि.मी. दूर	श्री मानव वृद्ध आश्रम 197–202, मानवपुरम, बारल II, बिजयनगर अजमेर, राजस्थान, इण्डिया – 305624 फोन – +91–1462–231510, 231151, 230147, 09413861599 Email : vijay_gupta110@yahoo.com
अपना संस्थान अजमेर परिपक्व नागरिक संस्थान 228, केशव नगर, अजमेर, राजस्थान, इण्डिया – 305 006 फोन – +91–145–640256, 641922	इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशियल वेलफेयर राजस्थान स्टेट ब्रांच, सेक्टर–6, हीरा पाथ जयपुर, राजस्थान, इण्डिया – 302020 फोन – 91–141–2392895, 2392809 E-mail : girrajicswraj@gmail.com
स्वामी ब्रह्मानन्द वृद्ध आश्रम ब्रह्मानन्द जी की बगेची, उदयपुर रोड, ब्यावर राजस्थान इण्डिया – 305901 फोन – +91–9829073503	श्रीराम वृद्ध आश्रम शील की डुंगरी चाकसू जयपुर, राजस्थान इण्डिया – 303901 फोन – +91–141–2350104, 09414207948
राजस्थान जन कल्याण सेवा संस्थान सोढा गली, चोटिना मौहल्ला, बीकानेर, राजस्थान फोन – +91–9214613949, 9413725899 कांटेक्ट पर्सन – श्री राज कुमार गौड 09352933841, 09314033841 Email : sknvsk@sify.com	श्री करणी नगर विकास समिति ''श्रद्धा'' 26, झालावाड़ रोड, एयरोड्रम के सामने, कोटा, राजस्थान, इण्डिया–324005 फोन – +91–744–2363741, 2363740, 2433841, 2433842
सेवा समिति ओल्ड ऊन मिल, रेलवे क्वार्टर के पीछे पाली मारवाड़, राजस्थान, इण्डिया – 306401 फोन – +91–2932–280784, 09414121766, 250054, 230766	मुस्लिम महिला कल्याण समिति महमूद खान ड्राइवर की हवेली सुभाष चौक के पास, टोंक, राजस्थान, इण्डिया – 304001
अर्पणा घार (ओल्ड ऐज होम – वृद्ध आश्रम) महावीर इंटरनेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट, सुरजगढ रोड चक 5इ छोटी श्री गंगानगर, राजस्थान फोन – 91 – 154 – 2423932, 2421261	आशाधाम आश्रम 'बी' ब्लॉक, सज्जन नगर, उदयुपर, इण्डिया – 313 001 फोन – +91–294–2431660 Email : info@ashadham.com
	आनन्द धाम चेरिटेबल ट्रस्ट एफ – 305, एम॰ आई॰ ए॰ बासनी इंडस्ट्रियल फैस, जोधपुर फोन – +91–98290 24317, 9321377821

ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (ग्राविस) एक गैरसरकारी, स्वैच्छिक संस्था है जो महात्मा गाँधी की विचारधारा से प्रेरित होकर थार मरूस्थल के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रयासशील है। 1983 में स्थापित यह संस्था अब तक 50,000 परिवारों को लाभान्वित कर चुकी है। संस्था का कार्यक्षेत्र लगभग 850 गाँवों में फैला है तथा ग्राविस ने 1100 से अधिक सामुदायिक संगठनों को गठित किया है। अपने गम्भीर प्रयासों, अनुसंधान तथा प्रकाशनों के माध्यम से ग्राविस ने स्वैच्छिक जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है।

ग्राविस
3/437, 458, मिल्कमैन कॉलोनी,
पाल रोड़, जोधपुर, 342008
राजस्थान, भारत

फोन : 91 291 2785 317,
2785 549, 2785 116

फैक्स : 91 291 2785 116

ई मेल : email@gravis.org.in

वेबसाईट : www.gravis.org.in

Copyright(c) 2010 GRAVIS

All rights reserved.